

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 529 / 2012 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स आर.एम.सी. स्वच गियर्स लि.,
बी-11, बी एण्ड सी, मालिवया इण्डस्ट्रीयल एरिया,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अधिवक्ता।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.05.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी; वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-बांसवाड़ा (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स-प्रथम), जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2011, जो अपील संख्या 358/आर.वैट/ए/2010-11 के संबंध में है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रु.1,46,275/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, बांसवाड़ा (जिसे आगे “जांच अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 02.02.2011 को वाहन संख्या आर.जे. 14/जीसी-8530 को डूंगरपुर में जांच हेतु रोका गया। परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर माल प्रभारी/वाहन चालक ने इन्वॉयस व बिल्टी के अतिरिक्त घोषणा प्ररूप वैट-47 वास्ते जांच प्रस्तुत किये। जांच अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तोवजों की जांच कर, यह अवधारित किया कि माल से संबंधित दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47 पूर्ण रूप से भरा हुआ माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न करना विधिक रूप से आवश्यक है परन्तु वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्ररूप वैट-47 अपूर्ण पाया गया है। अतः जांच अधिकारी द्वारा उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2) उल्लंघन होना अवधारित कर, प्रकरण को अग्रिम कार्यवही हेतु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को प्रेषित किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस

✓

लगातार.....2

जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से पूर्ण रूप से भरा हुआ वैट-47 कमांक 8953980 जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर, इसे बाद में सोचा हुआ प्रस्तुत होना मानकर, इसे अस्वीकार कर, जरिये आदेश दिनांक 07.02.2001 के शास्ति रु. 1,46,275/- आरोपित की गयी। जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, स्वीकार कर, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से वक्त जांच अपूर्ण घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत किया था। तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के आलोक में, वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेज यथा— बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट-47 पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अपने कथन की पुष्टि में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स गुलजग इण्डो बनाम वा.क.अ. 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णय को प्रोद्धरित कर, उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर, सशक्त अधिकारी द्वारा कायम की गयी मांग को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी कम्पनी के अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त जांच सशक्त अधिकारी के समक्ष माल से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिन पर माल संबंधित समस्त विगत अंकित थी। खाली घोषणा प्ररूप वैट-47 की प्रस्तुति के संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा वैट-47 कमांक 8953972 में प्रत्यर्थी कम्पनी का नाम पता, टिन की मोहर अंकित कर, उक्त हस्ताक्षर कर, ट्रांसपोर्ट कम्पनी को दे दिया गया परन्तु यथा स्थान पर व समय पर वैट-47 पहँचने के कारण वैट-47 रास्ते में उपलब्ध करवाया गया। कथन किया कि वाहन चालक द्वारा उक्त प्रेषित वैट-47 को भरे जाते समय ही जांच अधिकारी द्वारा वाहन की जांच की गयी थी यही नहीं वाहन चालक द्वारा उक्त वैट-47 को उसी समय अर्थात् जांच के वक्त ही भरने का निवेदन किया गया था परन्तु जांच अधिकारी द्वारा उक्त को भरने नहीं दिया जिसे बाद में जारी नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ वैट-47 अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। परन्तु उक्त तथ्यों व प्रस्तुत वैट-47 को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित की गयी जिसे अपास्त

1/

करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपने कथन के समर्थन में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., जांच चौकी, शाहजहांपुर, अलवर बनाम मैसर्स जे.एल.सी. इलैक्ट्रोमेन्ट लि. एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 214 / 2008 निर्णय 29.03.2011, स.व.क.अ., घट-द्वितीय, वृत्त-बी, अलवर बनाम मैसर्स रेबी कॉस्टिंग लि., भिवाड़ी एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 400 / 2008 01.08.2013, स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स भिलवाड़ स्पिनर्स, भीलवाड़ा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 289 / 2008 निर्णय दिनांक 09.11.2010, मैसर्स वीडियोकोन इण्डस्ट्रिज बनाम स.वा.क.अ., एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 212 / 2012 28.08.2014, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1024 / 2011 / जयपुर निर्णय दिनांक 25.03.2013, अपील संख्या 1600 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 13.03.2015 को प्रोद्धरित कर, पारित अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। माननीय शीर्ष न्यायालय के उद्धरित दृष्टांतों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वक्त जांच प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के समक्ष जो घोषणा प्ररूप वैट-47 पेश किया गया था वह पूर्ण रूप से खाली था परन्तु यह भी स्पष्ट है कि प्रथम जारी नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ वैट-47 क्रमांक 8953980 सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त को बाद की सोच होना अवधारित कर, प्रस्तुत घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, तदनुसार शास्ति आदेश पारित किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या शास्ति आरोपित करना उचित है? समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स किशनगढ़ बनाम स.वा.क.अ. उडनदस्ता 2013 36 टैक्स अपडेट 37 में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है "The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 05.03.2009 e.e., 06.03.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 06.03.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 05.03.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified.


.....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty cannot be sustained. In the case of ACTO Vs M/s Tata Iron and Steel Company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

समान सिद्धांत माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक आयुक्त,



भिवाड़ी (2013) 35 टैक्स अपडेट 49 में प्रतिपादित किया गया है। जहां तक हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, उक्त में भी वैट-47 के खाली रहने के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी, परन्तु सशक्त अधिकारी को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित कर दी गयी जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से सशक्त अधिकारी को अपास्त किया गया है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


(मदन लाल)
सदस्य